

**कार्यालय प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
इन्द्रावती भवन, ब्लाक 4, तृतीय तल, नया रायपुर, छत्तीसगढ़**

कमांक १७ /त.शा.-2/F-116-APP(s)/प्र.अ./लोस्वायावि/2017 नया रायपुर, दिनांक 22.5.17

// आदेश //

सहायक निर्देशक, शिक्षु प्रशिक्षण मण्डल (पश्चिम क्षेत्र), मुंबई के पत्र कमांक बी.ओ.ए. टी./आई.एम.पी.-XIII/614201/17787/दिनांक 10.02.2016 के तारतम्य में अप्रेन्टिस एक्ट 1961 प्रशिक्षुता अधिनियम की धारा 8 (3ए) के अंतर्गत इस कार्यालय के पत्र कमांक- 3679/त.शा. /एफ-116-APP(S)/प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./नया रायपुर दिनांक 02.05.2017 के अनुसार 38 प्रशिक्षुओं की पूर्ति करने हेतु जारी आदेश के तहत रिक्त पदों की पूर्ति के लिए प्रतीक्षा सूची से निम्नलिखित प्रशिक्षुओं को 1 वर्ष की अवधि के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मासिक छात्रवृत्ति पर नाम के सम्मुख दर्शाये गये कार्यालयों में व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु आदेशित किया जाता है :-

क	नाम	श्रेणी	डिग्री/ डिप्लोमा	कार्यालय का नाम	टीप
ट्रेड-मेकेनिकल इंजीनियरिंग					
1	श्री लेखचंद	सामान्य	डिप्लोमा	का.अ. खण्ड धमतरी	
ट्रेड-कम्प्यूटर इंजीनियरिंग					
2	श्री कमलेश देशमुख	सामान्य	डिग्री	अ.अ. मण्डल दुर्ग	
3	कु. ज्योति श्याम कुंवर	सामान्य	डिग्री	अ.अ. मण्डल दुर्ग	
ट्रेड - माडर्न ऑफिस मैनेजमेंट					
4	श्री लव कुमार साहू	सामान्य	डिप्लोमा	प्रमुख अभियंता लोस्वायावि नया रायपुर	

उपरोक्त चयन निम्न शर्तों के अधीन किया जाता है -

1. अप्रेन्टिस एक्ट 1961 प्रशिक्षुता अधिनियम की धारा 8 (3ए) की शर्तें लागू होंगी ।
2. प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष होगी ।
3. प्रशिक्षण के पश्चात् विभाग नौकरी देने के लिए बाध्य नहीं होगा ।
4. प्रशिक्षण अवधि में कार्य संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर चयन निरस्त किया जा सकता है ।
5. अवकाश की पात्रता अप्रेन्टिस एक्ट के अनुसार होगी ।
6. प्रशिक्षु द्वारा प्रति दिवस निर्धारित प्रपत्र में नियमानुसार दैनंदिनी संधारित किया जाना होगा ।
7. प्रशिक्षु द्वारा द्विमाही जानकारी निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्य रूप से भरकर भेजना होगा ।

प्रारूप प्र.अ. महोदय द्वारा अनुमोदित

@ L - - 22/5/17
अधीक्षण अभियंता (प्रशि.)
एवं नोडल अधिकारी प्रशिक्षु अधिनियम
कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, नया रायपुर

